उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग— समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा— 2020

Check List

क्र0सं0	प्रमाण पत्र का विवरण	संलग्न है अथवा नही
01	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
02	हाईस्कूल अंकतालिका	
03	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
04	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
05	स्नातक उपाधि या डिग्री *	
06	रनातक अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)**	
07	परास्नातक उपाधि या डिग्री *	
08	परास्नातक अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षी की) **	
09	एल०टी० डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	
10	शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एड०) उपाधि *	
11	शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एड०) अंकतालिका	
	(समस्त सेमेस्टर/वर्षों की) **	
12	अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में कम से कम 02	
13	संबंधी प्रमाण–पत्र। वर्ष की सेवा का प्रमाण–पत्र	
14	(यदि लागू हो) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा	
	'सी' प्रमाण–पत्र	
	एन०एस०एस० का 'सी' प्रमाण–पत्र	
15	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत्	
	आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस०सी०/ एस०टी०/	
	ओ०बी०सी०/ ई०डब्लू०एस०)***	
	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज	
	आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता	
	संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/	
	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड दिव्यांग/	

	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय	
	गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	
16	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में	
	पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र	
	(Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न	
	करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर	
	पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
17	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 716/70/	
	01 / डी०आर०(मा०शि०) / सेवा—01 / 2019—20 दिनांक	
	10 फरवरी, 2021 के सापेक्ष आयुसीमा में छूट का लाभ	
	लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड-पे 4800) से न्यून में	
	कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन	
	वेतन पर्ची (Salary Slip) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
18	अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो, सेवा	
	नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
19	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति के नाम में विभिन्न	
	प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो, तथा भिन्नता हो, तो उक्त	
	के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।	
20	मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क	
	के रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।	
21	ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों एवं/अथवा	
	शाखाओं में सफल घोषित हुये है, द्वारा ऑनलाइन भरी	
	गयी प्राथमिकता (Preference) सूची की प्रति।	
22	बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय	
	के बहुदिव्यांग की उपश्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति।	
23	विज्ञापन के बिन्दू सं0—2(2) में उल्लिखित नोट "समूह	
20	'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के	
	सम्बन्ध में आनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के	
	सापेक्ष अभिलेख / प्रमाण–पत्र। निम्न में से जिसका	
	ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो:—	
	1. Registration in any District Employment	
L		

Office located in Uttarakhand State.	
2. Are you employed?	
3. Have you passed your High School And	
intermediate or any other equivalent exams from	
any recognized instituin situated in the State of	
Uttarakhand.	
4. Are you or your spouse or your parents regular	
employee of the armed forces/para military	
forces OR State Government/semi government	
organization OR Central Government	
oraganization/Central Government Public service	
undertaking serving in the state of Uttarakhand	
and whose services cannot be transferred outside	
the State of Uttarakhand	
5. Are you OR your spouse/parents permanent	
resident of Uttarakhand, but residing outside	
Uttarakhand for livelihood/education purposes.	

*यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र / उपाधि अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण—पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए मूल औपबन्धिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण—पत्र की छायाप्रति के स्थान पर संलग्न करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए।

**अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर की समस्त वर्षों की अंकतालिकाएं अथवा सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार समस्त सेमेस्टरों की अंक तालिकाए उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। केवल अन्तिम वर्ष/फाइनल सेमेस्टर की अंकतालिका जांच (सन्निरीक्षा) में अपूर्ण मानी जायेगी।

***एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० / ई०डब्लू०एस० आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण—पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30.12.2020 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या—310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अविध तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो तथा दिनांक 30.12.2020 तक वैध हो।

नोट—1. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30.12.2020 तक वैध होना अनिवार्य है।

2. अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट के अनुसार समस्त प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति निर्धारित अंतिम तिथि 01.09.2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।